प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 471/018

• प्रमोद पारेख पिता स्वर्गीय रानू लाल पारेख, उम्र लगभग 55 वर्ष, व्यवसाय व्यापार, निवासी नयापारा, जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़.....(वादी/डिक्री धारक), जिला:बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. अभिमन्यु देवांगन पिता स्वर्गीय मधुसूदन देवांगन, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी ग्राम– नियानार, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़, जिला:बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

2. सीताराम देवांगन पिता स्वर्गीय मधुसूदन देवांगन, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम नियानार, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़, जिला:बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

3. श्रीमती गुलाब बाई पिता स्वर्गीय मधुसूदन देवांगन, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी गाँव नियानार, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़, जिला:बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

4. श्रीमती मुंटो बाई पिता स्वर्गीय मधुसूदन देवांगन, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम पल्लारी, तहसील कोंडागांव, वर्तमान निवास अदाका चेप्रा नाका, अमरावती रोड, कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़, जिला:कोंडागांव, छत्तीसगढ़

5. श्रीमती हंसा देवांगन पिता स्वर्गीय श्री मुरलीधर देवांगन, निवासी प्रतापगंज पारा, जैन मंदिर के सामने, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, जिला:बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

6. विवेक देवांगन पिता स्वर्गीय श्री मुरलीधर देवांगन, निवासी प्रतापगंज पारा, जैन मंदिर के सामने, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़।, जिला:बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

7. मितेश देवांगन पिता स्वर्गीय श्री मुरलीधर देवांगन, निवासी प्रतापगंज पारा, जैन मंदिर के सामने, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, जिला:बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

8. राजेश देवांगन पिता स्वर्गीय श्री मुरलीधर देवांगन, निवासी प्रतापगंज पारा, जैन मंदिर के सामने, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़... ... ...

(प्रतिवादी/निर्णीत ऋणी), जिला:बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादीगण

(वाद शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया)

याचिकाकर्ता हेतु : श्री राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित सुश्री अनु मिश्रा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र. 1 हेतु : नोटिस की तामिली के बावजूद कोई उपस्थित नहीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तरवादी क्र. 2 हेतु : श्री गौतम खेत्रपाल, अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश मोहन पांडे

बोर्ड पर आदेश

01.08.2023

1. याचिकाकर्ता ने विद्वत निष्पादन न्यायालय अर्थात तृतीय अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, बस्तर, जगदलपुर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत निष्पादन कार्यवाही को दिनांक 18.04.2018 के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि विक्रय विलेख से संबंधित संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का आदेश निष्पादित किया गया है, हालांकि वाद संपत्ति का कब्जा नहीं सौंपा जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसे किसी अनुतोष का दावा नहीं किया गया है।

2. वर्तमान प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक सिविल वाद क्रमांक 6ए/1995 दायर किया था, जो याचिकाकर्ता और मधुसूदन देवांगन (मृतक) के मध्य दिनांक 03.01.1992 को किए गए विक्रय करार पर आधारित था, जो केवरमुंडा, जगदलपुर में स्थित भूमि प्लॉट सर्वे क्रमांक 92 प्लॉट क्रमांक 165 जिसका क्षेत्रफल 2232 वर्ग फीट है, से संबंधित था। वाद पर दिनांक 04.05.1999 के निर्णय और डिक्री द्वारा डिक्री की गई, तत्पश्चात एफ.ए. क्रमांक 425/1999 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और दिनांक 21.06.2013 को उसे खारिज कर दिया गया और तत्पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एसएलपी प्रस्तुत की गई, जिसे दिनांक 21.02.2014 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। वादी ने डिक्री के निष्पादन के लिए विद्वत निष्पादन न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उत्तरवादी के भाई द्वारा आदेश 21 नियम 97, धारा 101 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था और उसे दिनांक 05.03.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, उस आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी और उसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस बीच राजेश देवांगन द्वारा एक हस्तक्षेप आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि संपत्ति उनकी है और इससे पहले एक वाद दायर किया गया था जो उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील तक गया था जिसे अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था। उक्त राजेश देवांगन ने इस न्यायालय के समक्ष एमसीसी संख्या 844/2017 के साथ द्वितीय अपील संख्या 448/1994 के पुनः स्थापन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया और उसे दिनांक 23.02.2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। निर्णय एवं डिक्री के अनुसरण में निष्पादन कार्यवाही में दिनांक 22.02.2018 को याचिकाकर्ता के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया, लेकिन वाद संपत्ति के कब्जे के संबंध में विद्वान न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध की सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि मूल प्रतिवादी वाद संपत्ति के 1500 वर्ग फुट के कब्जे में था, जबकि उसकी भाभी बुधयारिन बाई वाद संपत्ति के शेष हिस्से के कब्जे में थी और उनके मध्य कोई वाद चल रहा था और यह सहमति हुई थी कि जब पक्षकारों के बीच इस पर निर्णय लिया जाएगा तो संपत्ति का कब्जा याचिकाकर्ता को सौंप दिया जाएगा।

3. विद्वत निष्पादन न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता/वादी द्वारा कब्जे के लिए कोई अनुतोष का दावा नहीं किया गया है, इस प्रकार कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है और कब्जे के संबंध में कोई डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती है, परिणामस्वरूप विद्वत निष्पादन न्यायालय ने निष्पादन कार्यवाही समाप्त कर दी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि विक्रय करार में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वाद की संपत्ति का कुछ हिस्सा बुधियारिन बाई के कब्जे में है और मूल प्रतिवादी के पास 2232 वर्ग फुट में से केवल 1500 वर्ग फुट भूमि का कब्जा था। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि मूल प्रतिवादी ने करार किया था और संपत्ति उसके कब्जे में थी। बाद में, सिविल वाद का निर्णय उसके पक्ष में हुआ, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की है। बुधियारिन बाई की ओर से राजेश देवांगन द्वारा कुछ आपत्तियां उठाई गईं, लेकिन पुनः स्थापन के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया और इस प्रकार, राजेश देवांगन का दावा समाप्त हो गया, इसलिए जिस मुद्दे पर विद्वत निष्पादन न्यायालय द्वारा चर्चा की गई और जिस पर भरोसा किया गया, वह गलत है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कब्जे का अनुतोष विनिर्दिष्ट पालन के निर्णय के सहायक है और इसका विशेष रूप से दावा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मणिकराम @ ठंडापानी और एक अन्य बनाम वसंता के प्रकरण का अवलंब लिया, जिसे 2022 लाइवलॉ (एससी) 395 में प्रतिवेदित किया गया।

5. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्र. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि विक्रय करने का करार में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वाद की संपत्ति का कुछ हिस्सा बुधियारिन बाई के कब्जे में है और मूल प्रतिवादी के पास 2232 वर्ग फुट में से केवल 1500 वर्ग फुट भूमि का कब्जा था। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को भी इस तथ्य की जानकारी थी, लेकिन उसने सिविल वाद में कब्जे से अनुतोष का दावा करने का विकल्प नहीं चुना, यहां तक कि संशोधन के लिए कोई आवेदन भी विचारण न्यायालय या निष्पादन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए, इस स्तर पर याचिकाकर्ता कब्जे का दावा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मणिकराम (पूर्वोक्त) के मामले के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त निर्णय के पैरा 2 के अनुसार उस प्रकरण के उत्तरवादी/प्रतिवादी के पास वाद की संपत्ति का कब्जा था और कब्जा सौंपने के लिए करार हुआ था, जबकि वर्तमान प्रकरण में वाद की संपत्ति के कुछ हिस्से का कब्जा बुधियारिन बाई के पास है, इसलिए याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

7. याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा सर्वेक्षण क्रमांक 92 और 165, माप 2232 वर्ग फीट के संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक सिविल वाद दायर किया गया था और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.05.1999 के निर्णय और डिक्री द्वारा डिक्री की गई थी। निर्णय और डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील और एसएलपी को क्रमशः इस उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसलिए निष्पादन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 2 के भाई द्वारा आदेश 21 नियम 97, धारा 101 सहपठित सि.प्र.सं. की धारा 151 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे विद्वत निष्पादन न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी और उसे भी खारिज कर दिया गया था। राजेश देवांगन द्वारा निष्पादन कार्यवाही में आपत्ति उठाई गई थी और उसे भी खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात इस न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील के पुनः स्थापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे अंततः खारिज कर दिया गया।

8. डिक्री के अनुसरण में दिनांक 22.02.2018 को याचिकाकर्ता के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था, लेकिन संपत्ति का कब्जा याचिकाकर्ता को नहीं सौंपा गया था और विद्वत निष्पादन न्यायालय ने इस आधार पर निष्पादन की कार्यवाही समाप्त कर दी थी कि कब्जे के संबंध में कोई अनुतोष नहीं है और यह डिक्री से परे नहीं जा सकता है।

9. मणिकम @ ठंडापानी (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 25, 26, 29, 30 और 31 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

> 25. उपर्युक्त निर्णयों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कब्जे से अनुतोष विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री के लिए सहायक है और इसके लिए विशेष रूप से दावा करने की आवश्यकता नहीं है। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 के तहत भी यही स्थिति थी। कार्यवाही की बहुलता से बचने और विलंब को कम करने के लिए विधि आयोग की सिफारिश के अनुसरण में अधिनियम की धारा 22 प्रस्तुत की गई थी। इसलिए, हालांकि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 के तहत न्यायिक मत का प्रभुत्व इस तथ्य के पक्ष में था कि कब्जे से अनुतोष विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री के लिए सहायक है, इसे अधिनियम की धारा 22 प्रस्तुत करके और अधिक स्पष्ट किया गया।
>
> 26. इस मामले की जांच दूसरे दृष्टिकोण से भी की जा सकती है। अधिनियम की धारा 22(2) में हालांकि नकारात्मक भाषा में लिखा गया है, "उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के तहत कोई अनुतोष न्यायालय द्वारा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसका विनिर्दिष्टतः दावा न किया गया हो", लेकिन परंतुक उपधारा (2) के मूल प्रावधान से अनिवार्य प्रकृति को हटा देता है जब वादी को ऐसी शर्तों पर वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाती है जो ऐसे अनुतोष के लिए "कार्यवाही के किसी भी चरण में" वाद या अपील में कार्यवाही और निष्पादन में कार्यवाही भी सम्मिलित होगी। अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) का परंतुक यह विचार करता है कि न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में वादी को वादपत्र में ऐसे अनुतोष का दावा अंतर्गत करने के लिए संशोधन करने की अनुज्ञा ऐसे निबंधनों पर देगा जैसे न्यायायसंगत हो। उक्त प्रावधान धारा 22 की उपधारा (2) के अंतर्गत कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होने के कारण प्रावधान निर्देशिका बनाता है। इसलिए, धारा 22 की उपधारा (2) "किसी तत्प्रतिकूल मामले में" कब्जा मांगने के लिए विवेक का नियम है। उचित मामले में विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद शामिल नहीं होगा, लेकिन इसमें विभाजन के लिए वाद या तब वाद शामिल हो सकता है जब डिक्री को अंतरिती के विरुद्ध निष्पादित किया जाना है। उपधारा (2) को अनिवार्य प्रावधान नहीं कहा जा सकता क्योंकि कार्यवाही के किसी भी चरण में अनुतोष का दावा करने की शक्ति उपधारा (2) को निदेशक बनाती है। उपधारा (2) कार्यवाही की बहुलता से बचने की प्रक्रिया का मामला है। प्रक्रियात्मक विधि न्याय की दासता हैं जो मूल अधिकारों को पराजित नहीं कर सकते। मेसर्स गणेश ट्रेडिंग कंपनी बनाम मोजी राम [(1978) 2 एससीसी 91] का संदर्भ लिया जा सकता है जिसमें इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:
>
> > "2. प्रक्रियात्मक विधि का उद्देश्य मूल न्याय के मार्ग को सुगम बनाना है न कि बाधा उत्पन्न करना। सिविल प्रकरणों में अभिवचनों से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य प्रत्येक पक्ष को दूसरे के प्रकरण की सूचना देना है ताकि उसका समाधान किया जा सके, न्यायालयों को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाया जा सके कि वास्तव में पक्षकारों के बीच क्या मुद्दा है, और कार्यवाही के विशेष कारणों पर मुकदमेबाजी के मार्ग से विचलन को रोका जा सके।"
>
> 29. यह जांचने के लिए कि कोई प्रावधान निर्देशात्मक है या अनिवार्य, एक परीक्षण यह है कि न्यायालय को विधान की पूरी योजना पर सावधानीपूर्वक ध्यान देकर विधायिका के वास्तविक आशय का पता लगाना आवश्यक है। विधान की योजना को ध्यान में रखते हुए,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हम देखते हैं कि अधिनियम की धारा 22(2) केवल निर्देशात्मक है और इस प्रकार, डिक्रीधारक को इस कारण से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है कि विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री में ऐसा अनुतोष प्रदान नहीं किया गया था।

30. प्रतिवादी करार के अनुसार, विक्रय की जाने वाली भूमि का कब्जा सौंपने के लिए बाध्य है। "कार्यवाही के किसी भी चरण में" अभिव्यक्ति वादी को अपीलीय चरण में या निष्पादन में भी कब्जे से अनुतोष मांगने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त व्यापक है, भले ही ऐसी प्रार्थना का दावा करना आवश्यक हो। बाबू लाल [बाबू लाल बनाम हजारी लाल किशोरी लाल और अन्य, (1982) 1 एससीसी 525] में इस न्यायालय ने उन परिस्थितियों की व्याख्या की है, जहां कब्जे से अनुतोष आवश्यक हो सकती है जैसे कि विभाजन के लिए वाद या अलग कब्जे के प्रकरण में जहां हस्तांतरित संपत्ति एक संयुक्त संपत्ति है। विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद में, कब्जा ऐसे वाद में निहित है, इसलिए, हम देखते हैं कि डिक्री–धारक वास्तव में उनके पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसरण में कब्जे के हकदार हैं।

31. लिखित कथन में निर्णीत ऋणी ने स्वीकार किया है कि संपत्ति एक रिक्त भूमि है और उसने अन्य भाग लक्ष्मीपति नामक व्यक्ति के पक्ष में बेच दिया है। निर्णय ऋणी का यह रुख कि उत्तरवादी के पास अब 750 वर्ग फीट भूमि है, 2400 वर्ग फीट भूमि के कब्जे के अधिकार को विफल नहीं करेगा, जिसे उसने वादी को बेचने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसके संबंध में डिक्री पारित की गई थी। सभी विक्रय प्रभावित हुई है, और निर्माण, यदि कोई हो, लंबित है और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान क्रेता के पक्ष में कोई विधिक या न्यायसंगत अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए, डिक्री धारक 2400 वर्ग फीट भूमि के वास्तविक भौतिक कब्जे के हकदार हैं, जिसे अपीलार्थियों को विक्रय के लिए सहमति व्यक्त की गई थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मनिकम @ ठंडापानी (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णय को ध्यान से देखने से यह स्पष्ट है कि कब्जे से अनुतोष विनिर्दिष्ट पालन के आदेश के लिए सहायक है और इसे विशेष रूप से दावा करने की आवश्यकता नहीं है और पृथक से और विशेष रूप से कब्जे का दावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि कब्जे के लिए एक वाद में, पृथक से कब्जे के प्रकरण में कब्जे से अनुतोष आवश्यक है, लेकिन विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद में कब्जा ऐसे वाद में निहित है और इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपील की अनुमति दी।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मनिकम @ ठंडापानी (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वत निष्पादन न्यायालय ने निष्पादन कार्यवाही को समाप्त करने में विधिक त्रुटि की है। विद्वत निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन प्रकरण क्र. 06–ए/1995 दिनांक 18.04.2018 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा निष्पादन प्रकरण को उसके मूल क्रमांक पर पुनःस्थापित किया जाता है। पक्षकारों को दिनांक 25.08.2023 को निष्पादन न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

12. उत्तरवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि संपत्ति का कुछ हिस्सा मूल प्रतिवादी मधुसूदन की भाभी बुधियारिन बाई के कब्जे में है, विद्वत निष्पादन न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह विधि के अनुसार डिक्री के निष्पादन के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने से पहले कब्जे के संबंध में मुद्दे को तय करने के लिए सीमांकन रिपोर्ट मांगे।

13. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, अंततः यह याचिका निराकृत की जाती है। कोई वाद व्यय नहीं।

सही/–

(राकेश मोहन पांडे)

न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur